संख्या-06/2026-1970-001-5-9099-44-2024

प्रेषक,

विनोद कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 13 जनवरी, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-35 के अन्तर्गत उपलब्ध आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच के पुनः निर्माण हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष देय अवशेष धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- प0क0(9)/अ-अ-18(ए0एन0एम0टी0सी0)/2025-26/6888, दिनांक 13.10.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच के पुनः निर्माण हेतु स्वीकृत लागत रू0 1316.06 लाख के सापेक्ष देय द्वितीय किश्त/अन्तिम किश्त की धनराशि रू0 658.03 लाख (रूपये छः करोड अट्ठावन लाख तीन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-35 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों का पुनः निर्माण-24-वृहद निर्माण के अन्तर्गत उपलब्ध प्राविधानित धनराशि में से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 की होगा।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों/प्रतिबंधो का पुर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसे प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में अंकित किया जायेगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिया जायेगा।
9. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,58,03,000 (रुपये छह करोड़ अट्ठावन लाख तीन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 035 लेखा शीर्षक 4210808000400 ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों का पुनःनिर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-06/2026/1970(1)-001**-5-9099-44-2024, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकर, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच।
3. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
4. वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल।
6. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (लेखा) अनुभाग-2/लोक निर्माण अनुभाग-5/गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमरेश कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।